फौजदारी प्रकरण सख्या 02/2016

सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक प्रथम, अजमेर।

– प्रार्थी

बनाम

श्री मनकेश पुत्र श्री सुरेश चन्द जाति हरिजन, निवासी पानी की टंकी के पास, हरिजन बस्ती, नया शहर किशनगढ, पुलिस थाना किशनगढ, जिला अजमेर।

– गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थित:– 1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर।
2. श्री बी0एस0 शेखावत, वकील गैरसायल की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक : 16.08.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ द्वारा एक इस्तगासा पुलिस अधीक्षक अजमेर के माध्यम से जरिये सहा. लोक अभियोजक अजमेर गैरसायल श्री मनकेश पुत्र श्री सुरेश चन्द जाति हरिजन, निवासी पानी की टंकी के पास, हरिजन बस्ती, नया शहर किशनगढ, पुलिस थाना किशनगढ, जिला अजमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का दिनांक 05.07.16 को इस आशय का पेश किया कि गैरसायल बचपन से ही गलत लोगो की संगत में पड़ गया एवं जुआ खेलने, नशा करने व दादागिरी करने का आदि हो गया। पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही के उपरान्त भी खुले आम शान्तिप्रिय जनता को आतंकित व भयभीत कर रखा है जिससे आम जनता शक्स मजकूर से भय के कारण इसके विरूद्ध गवाही एवं पुलिस में रिपोर्ट देने से कतराती है। गैरसायल अपनी गैंग बनाकर लगातार अपराध करता आ रहा है। गैरसायल जुर्म करने का अभ्यस्त हो गया है। अतः परिवाद स्वीकार कर गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही की जावे। परिवाद पेश होने पर गैरसायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन तलब किया

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner

गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित हुए तथा राशि रूपये 1,00,000/— की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश किया, जिसे स्वीकार/तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। वकील गैरसायल ने जवाब नोटिस मय गैरसायल का शपथ पत्र पेश किया जिन्हें शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि गैरसायल श्री रवि बाकोलिया पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति रेगर निवासी सब्जी मण्डी के पास, बड़ी बस्ती पुष्कर, जिला अजमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का दिनांक 04.05.16 को इस आशय का पेश किया कि गैरसायल बचपन से ही गलत लोगो की संगत में पड़ गया व आपराधिक प्रवृति के लोगो के साथ रहकर नशा करने की आदत पड़ गई। नशे की लत को पूर्ण करने के लिए गैरसायल जुआ खेलने व दादागिरी करने का आदि हो गया जिससे उक्त शक्स का काफी भय उत्पन्न हो गया, जिससे आम जनता शक्स मजकुर व भय के कारण इसके विरूद्ध गवाही एवं पुलिस में रिपोर्ट देने से कतराती है। गैरसायल के विरूद्ध 13 आरजीपीओं के अधिनियम के तहत प्रकरणों में न्यायालय द्वारा जुर्माना भी किया गया है। अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 6 माह की अवधि के लिए उन्हें जिला बदर किया जावे।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर द्वारा प्रस्तुत बहस का विरोध करते हुए वकील गैरसायल ने कथन किया कि इस्तगासे में अंकित समस्त कथन झूठे है। पुलिस थाना किशनगढ द्वारा गैरसायल के विरूद्ध द्वैषतावश झूठे मुकदमे दर्ज कर फसाया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध झूठे मुकदमें दर्ज किये गये थे, जिनका निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। गत छः माह में गैरसायल के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण न तो दर्ज है और न ही फौजदारी कार्यवाही की गई है। उन्होंने यह भी कथन किया कि गैरसायल के चरित्र व आचरण तथा फौजदारी प्रकरणों के बारे में जांच करवायी जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी गैरसायल की होगी। वकील गैरसायल ने अन्त में कथन किया कि परिवाद निरस्त किया जाकर गैरसायल के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तागासे का अवलोकन करने पर एक ही प्रकृति के 13 आरपीजीओ के अधिनियम के तहत 3 प्रकरण विचाराधीन थे, जिनका निस्तारण हो चुका है। साथ ही इस्तगासा दिनांक 05.07.16

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner

को प्रस्तुत किया गया है, जिसे करीब 1 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पुलिस द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत करने के पश्चात् आज दिवस तक अभियुक्त की वर्तमान गतिविधि के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे अभियुक्त की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में उपधारणा किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट के आधार पर इस स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने के आधार प्रतीत नहीं होते है। अतः उक्तानुसार इस्तागासे की राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम धारा 3 की उपधारा 3 की परिधि में नहीं पाये जाने पर प्राप्त इस्तगासे को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

Scanned by CamScanner